न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/ 2022
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/49

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

1. श्री श्रवण पिता तेजा मकवाना जाति भील
2. श्री तेजा पिता जोगडा मकवाना जाति भील
3. श्री मनिष पिता श्रवण मकवाना जाति भील
4. श्री कल्पेश पिता श्रवण मकवाना जाति भील
5. श्रीमति सविता पत्नि श्रवण मकवाना जाति भील
6. श्री चेतन पिता तेजा मकवाना जाति भील निवासीयान् गॉव राम का मुन्ना, तहसील गांगडतलाई, जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:-

1. श्री रमणलाल पिता लाडजी जाति भील निवासी गॉव राम का मुन्ना, तहसील गांगडतलाई, जिला बॉसवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील, गांगडतलाई जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजकुमार लखानी, एडवोकेट

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित एड्वोकेट
श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरुद्ध निर्णय न्यायालय, तहसीलदार गांगडतलाई, जिला बॉसवाडा, प्रकरण संख्या 01/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम, निर्णय दिनांक 03-08-2022 के विरुद्ध अपील

दिनांक :- 16-01-2023

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरुद्ध न्यायालय, तहसीलदार गांगडतलाई, जिला बॉसवाडा, प्रकरण संख्या 01/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम, निर्णय दिनांक 03-08-2022 के विरुद्ध अपील को मय स्थगन आदेश बाबत् प्रार्थना पत्र के साथ पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स की कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 165 नया व 45 पुराना खसरा नं. 10/1044 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खसरा नं. 11/1066 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नं. 17/1165 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम राम का मुन्ना पटवार हल्का राम का मुन्ना, तहसील गांगडतलाई जिला बॉसवाडा में स्थित है। जिसे रेस्पोडेंट श्री रमणलाल पिता लाडजी ने तहरेंग व मानेंग पुत्र पुना से क्रय किया जाना बताया जा रहा है। अपीलांट की कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि को रेस्पोडेंट को विक्रय करने वाले तेरहेंग उर्फ तेरसिंग व मानेंग पुत्र पुना जो कि अपीलांट श्रवण पिता तेजा वगैरा के करिबी रिश्तेदार होकर एक ही परिवार के सदस्य है, उनसे ग्रामिण परंपराओ के अनुसार विगत कई वर्षो पूर्व मे रहन प्राप्त किया व बाद में दोनो पक्षकारान ने आपस में सहमत होकर वादग्रस्त कृषि भूमि को अपीलांट को विक्रय किया जाना तय किया। जिसके लिये विक्रय मुल्य को अपीलांट ने शनैः शनैः तेरहेंग उर्फ तेरसिंग व मानेंग पुत्र पुना व उनके पुत्र नानका को अदा कर वादग्रस्त कृषि भूमि क्रय कर उसका कब्जा प्राप्त कर बिना किसी विवाद, आपसी आपत्ति व मुकदमे बाजी के अपना मकान बनाकर परिवार सहित निवास व कृषि कर रहे है। जिस पर कई वर्ष पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलांट ने फेंन्सींग (तारबन्दी) करवा रखी है। तेहरेंग व मानेंग पुत्र पुना ने अपीलांट श्रवण पिता तेजा को जाति रिवाज के अनुसार गोद लेकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को दिनांक 15.03.2020 को पुनः रिक्त कब्जा सुपूर्द किया है। रेसपोडेंट रमणलाल कटारा द्वारा जिस दिनांक 01.12.2021 को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को क्रय करना बताया उससे कई वर्ष पूर्व ही श्रवण पिता तेजा वगैरह ने रुपया 5 लाख से अधिक तेहरेंग पुत्र पुना वगैरह को अदाकर क्रय कर लिया है, मौके पर श्रवण पिता तेजा वगैरा ही वर्तमान में लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही काबिज होकर निवास कर रहे है। यह तथ्य यह प्रमाणित करते है कि तेरसिंग उर्फ तरहेंग पुत्र पुना वगैरा ने उक्त विक्रय के तथ्य छिपाकर रेस्पोडेंट रमणलाल कटारा को या तो कब्जे व पूर्व के विक्रय के वास्तविक तथ्यो से अवगत नही कराया या उसे बिना कब्जे के ही आने पोने दामो में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को क्रय क[illegible] है।

तेरसिंग उर्फ तरहेंग पिता पु[illegible] अपीलांट से लगभग रुपया 509945 उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के विक्रय [illegible] है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी है। इस आधार पर यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व मे [illegible] विक्रय हो चुका है किन्तु पूर्व क्रेता को धोखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

देने की नियत से अन्य अर्थात रेस्पोडेंट को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का विक्रय कर दिया है। जो कानून के विपरीत है। एक बार कोई संपत्ति विक्रय होने के बाद किसी अन्य को विक्रय करने पर दुसरा विक्रय पत्र शून्य होता है। अतः तहसीलदार तहसील गांगडतलाई प्रकरण संख्या 01/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम, निर्णय दिनांक 03-08-2022 को निरस्त फरमावे।

यह अपील दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जरिये समन सूचित किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 13.09.2022 को रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 01.11.2022 को रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 28.11.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी पेश कर विचाराधीन अपील में अपीलांट सं. 3 पर मनिष पिता श्रवण मकवाना व अपीलांट सं. 6 पर श्रीमती चेतन पत्नि तेजा मकवाना का नाम अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांट के रुप में पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट सं.1 के अधिवक्ता ने उपरोक्त नाम अपीलांट के रुप में सूची में जोडने बाबत् अनापत्ति जाहिर की। अतः अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी स्वीकार कर अपीलांट सं.3 पर मनिष पिता श्रवण मकवाना व अपीलांट सं. 6 पर श्रीमती चेतन पत्नि तेजा मकवाना का नाम अपील में जोडने आदेश दिये गये।

दिनांक 27.12.2022 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स की कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 165 नया व 45 पुराना खसरा नं. 10/1044 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खसरा नं. 11/1066 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नं. 17/1165 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम राम का मुन्ना पटवार हल्का राम का मुन्ना, तहसील गांगडतलाई जिला बॉसवाडा में स्थित है। जिसे रेस्पोडेंट श्री रमणलाल पिता लाडजी ने तहरेंग व मानेंग पुत्र पुना से क्रय किया जाना बताया जा रहा है। अपीलांट की कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि को रेस्पोडेंट को विक्रय करने वाले तेरहेग उर्फ तेरसिंग व मा[illegible] जो कि अपीलांट श्रवण पिता तेजा वगैरा के करिबी रिश्तेदार होकर एक [illegible] के अनुसार विगत कई वर्षो पूर्व मे रहन प्राप्त किया व बाद में दोनो पक्षकारान [illegible] आपस में सहमत होकर वादग्रस्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

भूमि को अपीलांट को विक्रय किया जाना तय किया। जिसके लिये विक्रय मुल्य को अपीलांट ने शनैः शनैः तेरहेंग उर्फ तेरसिंग व मानेंग पुत्र पुना व उनके पुत्र नानका को अदा कर वादग्रस्त कृषि भूमि क्रय कर उसका कब्जा प्राप्त कर बिना किसी विवाद, आपसी आपत्ति व मुकदमे बाजी के अपना मकान बनाकर परिवार सहित निवास व कृषि कर रहे है। जिस पर कई वर्ष पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलांट ने फेंन्सींग (तारबन्दी) करवा रखी है। तेहरेंग व मानेंग पुत्र पुना ने अपीलांट श्रवण पिता तेजा को जाति रिवाज के अनुसार गोद लेकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को दिनांक 15.03.2020 को पुनः रिक्त कब्जा सुपूर्द किया है। रेस्पोडेंट रमणलाल कटारा द्वारा जिस दिनांक 01.12.2021 को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को क्रय करना बताया उससे कई वर्ष पूर्व ही श्रवण पिता तेजा वगैरह ने रुपया 5 लाख से अधिक तेहरेंग पुत्र पुना वगैरह को अदाकर क्रय कर लिया है, मौके पर श्रवण पिता तेजा वगैरा ही वर्तमान में लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही काबिज होकर निवास कर रहे है। यह तथ्य यह प्रमाणित करते है कि तेरसिंग उर्फ तरहेंग पुत्र पुना वगैरा ने उक्त विक्रय के तथ्य छिपाकर रेस्पोडेंट रमणलाल कटारा को या तो कब्जे व पूर्व के विक्रय के वास्तविक तथ्यो से अवगत नही कराया या उसे बिना कब्जे के ही आने पोने दामो में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को क्रय कर लिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विक्रेता तरहेंग उर्फ तेरसिंग व मानेंग पुत्र पुना को पक्षकार नही बनाया है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि को इनके द्वारा गैर कानूनी तरिके से विक्रय किया गया है।

रेस्पोडेंट की ओर से पेश किया गया वाद पत्र दिनांक 07.03.2022 अन्तर्गत धारा 183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उसके प्लीडींग प्रमाणो के आधार पर इसमे स्वामित्व व कब्जा संबंध में अनेक ऐसे विधि बिन्दु है जिन्हे संक्षिप्त ट्रायल के तहत धारा 183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुना नही जा सकता जबकि इसे धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुना जाना चाहिये था।

तेहरेंग व मानेंग पुत्र पुना ने अपीलांट श्रवण पिता तेजा को जाति रिवाज के अनुसार गोद लेकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को दिनांक 15.03.2020 को पुनः रिक्त कब्जा सुपूर्द किया है। इस सम्बन्ध में न्यायीक दृष्टान्त पेश किये जो निम्नानुसार है:-

2018(2) DNJ (Raj.) 744 RAJASTHAN HIGH COURT Kalawati Chaplot vs Babu lal Motawat & Ors.,

2018(2) DNJ (Raj.) 842 RAJASTHAN HIGH COURT (Jaipur Bench) Shivdayal Mahajan vs Banwari lal Mahajan.

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

2016(2) DNJ (Raj.) 888 RAJASTHAN HIGH COURT (Jaipur Bench) Sugan Chand vs Abdul Aziz

रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अतिक्रमी होकर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है, अपीलांट का कोई मकान नही है और न ही उसमे निवासरत है, बल्कि बाद में अपीलांट द्वारा अवैध रुप से अतिक्रमण कर झोपडा, ईट व पतरे का बना दिया है। जिसे अपना मकान बताकर कब्जा होने का अभिकथन कर रहा है। अपीलांट्स का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई निवास स्थान नही है और न ही उस कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का विधिनूकुल कब्जा है। अपीलांट का पूर्व में कभी कब्जा नही रहा है। श्री तरसिंग व श्री मानेंग के द्वारा अपीलांट सं. 1 को विधिनूकुल विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किया है। अपीलांट ने तरसिंग व मानेंग के द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि का बयान नही करने से एवं उक्त भूमि का खातेदारान द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 को विक्रय करने से उसका बदला लेने की भावना से वादग्रस्त कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर टापरा पर्दे डालकर खडा कर दिया है। खातेदारान द्वारा कभी आधिपत्य सुपुर्द नही किया है और न ही विक्रय की है। खातेदारान द्वारा वैधानिक रुप से अप्रार्थी सं. 1 के हक में विक्रय विलेख निष्पादित कर कब्जा सुपूर्द किया है। रेस्पोडेंट सं. 1 के द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय करने के पश्चात् अपीलांट अप्रार्थीगण अतिक्रमण कर रहे है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनरथ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

दिनांक 10.01.2023 को अपीलांट के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि वादग्रस्त खसरा नंबरान् से सम्बन्धित एक प्रकरण उपखण्ड न्यायालय बागीदौरा में विचाराधीन होकर उक्त प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय से पत्रावली आदेशिका एवं प्रार्थना पत्र की प्रतियॉ भिजवाये जाने पाबंद किया गया। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय से वांछित रेकार्ड प्राप्त नही हुआ न ही अपीलांट के अधिवक्ता ने अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रति प्रस्तुत की। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय से रेकार्ड प्रस्तुत [illegible] समय चाहा गया। अपीलांट को पूर्व में अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् अधि[illegible]बागीदौरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का रेकार्ड प्रस्तुत करने का समय था किन्तु यथा [illegible] उनके द्वारा रेकार्ड प्रस्तुत नही किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

है। अपीलांट को रेकार्ड प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय प्राप्त हो चुका है। अतः अब और समय दिया जाना उचित प्रतित नही होता है।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील गांगडतलाई की मूल पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी का प्रमुख उज्र रहा है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधिनस्थ न्यायायल में पेश किया गया वाद पत्र दिनांक 07.03.2022 का वास्तव में उसके प्लीटींग प्रमाणो के आधार पर इसमे स्वामित्व व कब्जा के अभाव में अनेक ऐसे विधि बिन्दु है जिन्हे इस संक्षिप्त ट्रायल के तहत अन्तर्गत धारा 183(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुना नही जा सकता वरन इसे धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुना जाना चाहिये था। इस संबंध में यह न्यायालय सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(ख) का उल्लेख किया जाना उचित समझता है, जिसके प्रावधान है कि " (1) इस अधिनियम के किन्ही प्रावधानो में किसी बात के होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है या कब्जा बनाये रखा है, ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियो के आवेदन पर, (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति के आवेदन करने पर) जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हो का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये जिसमे कि वह ऐसे कब्जे मे रहा है जुर्माने के रुप में ऐसी रकम देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से (पचास गुना) तक हो सकेगी (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये जाने वाली प्रार्थना पत्र पर जॉच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद संक्षेप रुप में की जायेगी (और यावत्साध्य विहित कालावधि के भीतर समाप्त की जायेगी।"

रेस्पोडेंट्स श्री रमणलाल पिता लाडजी जाति भील निवासी गॉव राम का मुन्ना, तहसील गांगडतलाई, जिला बॉसवाडा (राज.) के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 165 नया व 45 पुराना खसरा नं. 10/1044 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खसरा नं. 11/1066 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नं. 17/1165 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल खसरा कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम राम का मुन्ना पटवार हल्का राम का मुन्ना, तहसील गांगडतलाई जिला बॉसवाडा में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार गांगडतलाई को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर एवं तहसीलदार गांगडतलाई द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की जॉच करवाने पर पटवारी हल्का राम का मुन्ना की रिर्पोट एवं मौका पर्चा दिनांक 06.04.2022 अनुसार प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट श्री श्रवण कुमार पिता तेजा ने टापरा बनाकर, चारो तरफ तार बंदी करने हेतु सिमेंट के खम्बे लगा कर कब्जा किया है। पटवारी राम का मुन्ना द्वारा प्रस्तुत जॉच रिर्पोट, अपीलांट श्री श्रवण पिता तेजा के रुबरु तैयार किया गया मौका पर्चा दिनांक 06.04.2022 के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 1 खातेदार श्री रमणलाल पिता लाडजी की भूमि पर अपीलांट श्री श्रवण पिता तेजा मकवाना का अतिक्रमण पाये जाने पर तहसीलदार गांगडतलाई ने धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत सुनते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26–07–2022 एवं दिनांक 03–08–2022 को आज्ञा पारित की गई है। हम अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 26–07–2022 एवं दिनांक 03–08–2022 को पारित आज्ञा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखते हुए अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16–01–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested